



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम

विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विभागाध्यक्ष के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 91/2025 से 95/2025, 100/2025, 105/2025 एवं 106/2025 का दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम एवं निदेश:-

विज्ञापन संख्या एवं विषय	दिनांक एवं दिन	प्रथम पाली (समय: 09:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 02:00 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवार का Roll No./Application No.	उम्मीदवारों का Roll No./Application No.
वि.सं. 91/2025 विभागाध्यक्ष, यांत्रिक अभियंत्रण	13.02.2026 (शुक्रवार)	091250000001, 091250000002, 091250000004, 091250000005, 091250000007, 091250000009, 091250000010, 091250000011, 091250000012, 091250000013, 091250000014, 091250000015, 091250000016, 091250000017, 091250000018, 091250000020, 091250000021, 091250000022, 091250000023, 091250000024,	091250000025, 091250000026, 091250000027, 091250000028, 091250000029, 091250000030, 091250000031, 091250000032, 091250000033, 091250000034, 091250000035, 091250000036, 091250000037, 091250000038, 091250000039, 091250000040, 091250000041, 091250000042, 091250000043, 091250000044,
	14.02.2026 (शनिवार)	091250000045, 091250000046, 091250000047, 091250000048, 091250000049, 091250000050, 091250000051, 091250000052, 091250000053, 091250000054, 091250000055, 091250000056, 091250000057, 091250000058, 091250000059, 091250000060, 091250000061, 091250000062, 091250000063, 091250000064	091250000065, 091250000066, 091250000067, 091250000068, 091250000069, 091250000070, 091250000071, 091250000072, 091250000073, 091250000074, 091250000075, 091250000076, 091250000077, 091250000078, 091250000079, 091250000080, 091250000081, 091250000082, 091250000083
वि.सं. 93/2025 विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियंत्रण	13.02.2026 (शुक्रवार)	093250000002, 093250000003, 093250000004, 093250000005, 093250000006, 093250000007, 093250000008, 093250000009, 093250000010, 093250000012, 093250000013, 093250000014,	093250000015, 093250000016, 093250000017, 093250000018, 093250000019, 093250000020, 093250000021, 093250000022, 093250000023, 093250000024, 093250000025, 093250000026,
वि.सं. 94/2025 विभागाध्यक्ष, असैनिक अभियंत्रण	14.02.2026 (शनिवार)	094250000002, 094250000003, 094250000004, 094250000005, 094250000006, 094250000007, 094250000008, 094250000009, 094250000014, 094250000015	XX
वि.सं. 100/2025 विभागाध्यक्ष, माइनिंग इंजी.	14.02.2026 (शनिवार)	XX	100250000002, 100250000003
वि.सं. 105/2025 विभागाध्यक्ष, फुड प्रोसेसिंग एण्ड प्रिजर्वेशन	14.02.2026 (शनिवार)	XX	105250000001
वि.सं. 106/2025 विभागाध्यक्ष, कृषि अभियंत्रण	14.02.2026 (शनिवार)	XX	106250000001
वि.सं. 95/2025 विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	16.02.2026 (सोमवार)	095250000001, 095250000002, 095250000003 095250000004, 095250000005, 095250000006 095250000007, 095250000008, 095250000009 095250000010, 095250000011, 095250000012, 095250000013, 095250000015, 095250000016, 095250000017, 095250000018, 095250000019, 095250000020, 095250000021	095250000022, 095250000023, 095250000024, 095250000025, 095250000026, 095250000027, 095250000028, 095250000029, 095250000030, 095250000031, 095250000032, 095250000033, 095250000034, 095250000035, 095250000036, 095250000037, 095250000038, 095250000039, 095250000040
वि.सं. 92/2025 विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी.	16.02.2026 (सोमवार)	092250000001, 092250000003, 092250000004 092250000005, 092250000006, 092250000007 092250000008, 092250000009, 092250000010, 092250000011, 092250000012, 092250000013,	092250000014, 092250000015, 092250000016, 092250000017, 092250000018, 092250000019, 092250000020, 092250000021, 092250000023, 092250000024, 092250000027, 092250000028

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन पत्र दस्तावेज सत्यापन प्रारम्भ होने की तिथि के पूर्व से आयोग के वेबसाइट <https://bpsc.bihar.gov.in> पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना Roll No./Application Number डालकर डाउनलोड कर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे।

(Handwritten Signature)

3. ऑनलाईन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त 12 अंकों के Application Number को ही Roll No. माना गया है।
4. उक्त वेबसाईट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं विवरण प्रपत्र-II भी उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र I, परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं विवरण प्रपत्र-II में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता/अंक गणना प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
5. दस्तावेज सत्यापन के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं दस्तावेज सत्यापन पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की एक-एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी लाना अनिवार्य होगा:-
- (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र/अंक प्रमाण पत्र।
- (ii) स्नातक (B.E./B.Tech./AMIE Section- A & B) सभी वर्ष/सत्र/सेमेस्टर का अंक पत्र।
- (iii) स्नातक (B.E./B.Tech./AMIE Section- A & B) डिग्री प्रमाण पत्र।
- (iv) सम्बन्धित विषय में AMIE (Section- A & B) उत्तीर्णता की स्थिति में इस आशय का प्रमाण पत्र यथा Enrollment/Registration Certificate कि उन्हें AMIE में दिनांक-31.05.2013 तक Enrollment with permanent recognition प्राप्त कर उक्त डिग्री प्राप्त है।
- (v) स्नातकोत्तर (M.E/M.Tech./M.S) सभी वर्ष/सत्र/सेमेस्टर का अंक पत्र।
- (vi) स्नातकोत्तर (M.E/M.Tech./M.S) डिग्री प्रमाण पत्र।
- (vii) B.E/B.Tech. में प्रथम श्रेणी में डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् Relevant/ Appropriate Branch में सीधे Ph.D. Degree उत्तीर्णता का दावा करने की स्थिति में उनके द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र (जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्गत हो) साक्ष्य/प्रमाण के रूप में संलग्न करेंगे कि उक्त उम्मीदवार द्वारा AICTE के प्रावधानानुसार B.E./B.Tech. के पश्चात् M.E/M.Tech./M.S किए बिना Direct Ph.D. में नामांकन लेकर उक्त Ph.D. डिग्री प्राप्त की गई है।
- (viii) स्नातक (B.E./B.Tech./AMIE Section- A & B)/ स्नातकोत्तर (M.E/M.Tech./M.S) प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित होने की स्थिति में उक्त ग्रेडिंग को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति
- (ix) स्नातक (B.E./B.Tech./AMIE Section- A & B)/ स्नातकोत्तर (M.E/M.Tech./M.S) प्रमाण पत्र/अंक पत्र में श्रेणी/Division स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने सम्बन्धी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा निर्गत श्रेणी/Division प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- (x) पीएच.डी. की उत्तीर्णता तिथि की अस्पष्टता की स्थिति में उत्तीर्णता सम्बन्धी Ph.D. Award Letter/ Notification (अधिसूचना)।
- (xi) पीएच.डी. उत्तीर्णता की संबंधित विषय/विभाग की अस्पष्टता की स्थिति में पीएच.डी. कोर्स-वर्क प्रमाण पत्र/पीएच.डी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/Ph.D. Award Letter/Notification (अधिसूचना)।
- (xii) पीएच.डी. का मूल प्रमाण पत्र।
- (xiii) विज्ञापन की कंडिका 3 के आलोक में अनुभव प्रमाण पत्र:- शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव (10 वर्षों का अनुभव- वेतन स्तर 9 ए से 11 एवं शेष 2 वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) (वेतन स्तर 12) के स्तर पर पीएच0डी0 के पश्चात् का हो) अथवा शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव (12 वर्षों का अनुभव- वेतन स्तर 9 ए से 12 एवं शेष 3 वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) (वेतन स्तर 13-ए1) के स्तर पर होना चाहिए।)
- (xiv) आवेदक द्वारा जिस-जिस पद के कार्यानुभव का दावा अपने मूल आवेदन में किया गया है, उक्त कार्यानुभव से सम्बन्धित नियुक्ति पत्र, प्रोन्नति पत्र/आदेश, Research Papers, Faculty Development Programme/MOOCs Courses with E-Certification, Industrial Training तथा उस माह का पे रिलिफ (वेतन पर्ची), बैंक स्टेटमेंट की प्रति /Income Tax Return(ITR) की प्रति, जिससे उम्मीदवार का वेतन स्तर स्पष्ट हो तथा अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् विनियम, 2019 की कंडिका-2.22 के अनुरूप हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- (xv) सभी उम्मीदवारों को विज्ञापन की कंडिका 3 एवं 5 के आलोक में Research/Book Publications, Journals, Seminar Presentations (Seminar/conference proceedings as full paper etc., Sponsored Research Projects, Major Policy Documents of Govt. Bodies at Central & State Level Patent/Technology Transfer/Product/Process, Refresher Courses/ Methodology, Workshop, Training, Teaching Learning Evaluation Technology Programme, Soft Skill Development Programme, Faculty Development Programme से सम्बन्धित शोध पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति। (दावा करने की स्थिति में)
- (xvi) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
- (xvii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।
- (xviii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)। (दावा करने की स्थिति में)।
- (xix) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- (xx) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची I (प्रपत्र I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र। EWS के आरक्षण की दावा करने वाली विवाहित महिलायें यदि अपने पति के नाम से निर्गत EWS प्रमाण पत्र समर्पित करती हैं तो ऐसी महिला उम्मीदवारों को अपने पिता के स्थायी मूल निवास के आधार पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत

करना आवश्यक होगा, अन्यथा EWS आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (xxi) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।

नोट:- अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधिमान्य नहीं होगा।

- (xxii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/ नतीनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का

यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करते हैं, ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता/अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है।

6. उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन में समर्पित योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आलोक में अर्हता/अनर्हता की जाँच एवं एकेडमिक/अनुभव/जर्नल्स/वेटेज अंकों की गणना के क्रम में यदि पूरक/अन्य सम्बन्धित दस्तावेज/प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो उम्मीदवारों द्वारा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

7. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

- (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता का नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

- (iii) यदि आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता अथवा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने सम्बन्धी आरक्षण का दावा किया है, तो दस्तावेज सत्यापन के समय उपर्युक्त कडिका 5 (xx) (xxi) एवं (xxii) में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

8. दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

9. सभी उम्मीदवार अपने दस्तावेज सत्यापन के दिन दस्तावेज सत्यापन पत्र के अलावे मूल आवेदन में अंकित फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी एक छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।

10. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उपस्थित होंगे।

11. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू-टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

12. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

पत्रांक 11687 दिनांक 30.08.2016) में निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।

- (xxiii) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा/साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

- (xxiv) हाल का खिंचा हुआ 2 (दो) पासपोर्ट साईज फोटो।

- (xxv) आवेदन में अंकित फोटोयुक्त पहचान पत्र।

21/26

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना